प्राकृतिक खेती में राजस्थान बना मिसाल, क्लस्टर गठन में दूसरा, कृषक पंजीकरण में तीसरा स्थान

राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का दिख रहा प्रभावी असर

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार ढाई लाख किसानों को जोड़कर एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत राज्य में अब तक 2 हजार 380 क्लस्टर गठित किए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश के बाद देशभर में सर्वाधिक है। इन क्लस्टरों से प्रदेश के 2 लाख 12 हजार 346 किसान जुड़े हैं, यह संख्या आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक है। साथ ही, अब तक राज्य के लगभग 91 हजार 166 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई जा चुकी है, जो राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करती है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक लगभग 49 करोड़ 97 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। प्रदेश में 50 हजार किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के माध्यम से जैविक खाद उत्पादन के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को जैविक उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 हजार 856 करोड़ रुपये का अनुदान राज्य की गोशालाओं को दिया गया है। बजट 2025-26 में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नैचुरल फार्मिंग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 25 नवंबर 2024 को प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा किसानों की आय बढ़ाना है। यह मिशन केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रमाणन और विपणन की समग्र सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इसके तहत देशभर में 527 कृषि विज्ञान केंद्र, 76 कृषि विश्वविद्यालय, 194 स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थान तथा 18 उत्कृष्टता केंद्र मिशन अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन सहायता राशि दो वर्षों तक उपलब्ध करवाई जा रही है। नीति आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले लगभग 91 प्रतिशत किसानों के उत्पादन में वृद्धि हुई तथा लगभग 90 प्रतिशत किसानों की उत्पादन लागत में कमी आई है। साथ ही, मिट्टी के स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ कृषि व्यवस्था का आधार बन रही है। यह समृद्ध किसान, स्वस्थ समाज और सुरक्षित पर्यावरण की आधारशिला है। जब किसान प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर खेती करेगा, तभी विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को नई गति मिलेगी। प्राकृतिक कृषि ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें प्रकृति के अनुरूप खेती की जाती है तथा मिट्टी, जल, जैव विविधता और सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें स्थानीय संसाधनों, विशेषकर देशी गाय आधारित जैविक घोल, फसल अवशेष, मल्चिंग तथा मिश्रित खेती का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होने से किसानों की उत्पादन लागत में कमी आती है।

'सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ' अभियान के तहत पिंक टॉयलेट पर जागरूकता कार्यक्रम



जयपुर (कासं)। नगर निगम आदर्श नगर जोन के वार्ड संख्या 123 स्थित गोल मार्केट पिंक टॉयलेट पर 'सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ' अभियान के तहत विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला सफाई कर्मियों को पिंक टॉयलेट की उपयोगिता, स्वच्छता, रखरखाव और महिलाओं के लिए इसके महत्व की जानकारी दी गई। इस दौरान पिंक टॉयलेट पर कार्यरत महिला सफाई कर्मी का अन्य महिला सफाई कर्मियों ने फूल-माला पहनाकर सम्मान किया तथा उनके कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला सफाई कर्मियों ने स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने और आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

खोया - पाया

मेरे प्लॉट नं.-30 स्कीम दुसाद नगर-1 का जेडीए का मूल पट्टा कही पर गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। अंकेश चौधरी पुत्र कन्हैयालाल- मो. 9414001366

कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आज से

जयपुर (कासं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए), कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन (सीएलए), सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) तथा निवारण-मेडिएटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 31 जुलाई से 2 अगस्त, 2026 तक जयपुर स्थित होटल द ललित में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में मेडिएशन, रूल ऑफ लॉ तथा न्याय तक प्रभावी एवं समावेशी पहुंच से जुड़े समकालीन वैश्विक विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन 31 जुलाई, 2026 को सायं 6 बजे भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात 1 अगस्त को पांच तथा 2 अगस्त को दो उच्चस्तरीय तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन का वैलेडिक्टरी सेशन 2 अगस्त, 2026 को दोपहर 12:15 बजे आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ, जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नालसा करेंगे। समापन अवसर पर जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मेडिएशन-2026 को सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा अंगीकृत किया जाएगा। सम्मेलन के विभिन्न तकनीकी सत्रों में कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, एनवायरनमेंटल डिस्प्यूट्स, कम्युनिटी डिस्प्यूट्स, क्रॉस-बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आपराधिक मामलों में विक्टिम-सेंट्रिक मीडिएशन, रूल ऑफ लॉ को सुदृढ़ बनाने में मीडिएशन की भूमिका तथा वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे।

कोहिमा रेल परियोजना का महाप्रबंधक आशीष बंसल ने किया निरीक्षण, 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य

मालीगांव (एजेंसी)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (निर्माण) के महाप्रबंधक आशीष बंसल ने रणनीतिक महत्व की डिमापुर (धनसिरी)-कोहिमा (जुब्ज़ा) नई रेल लाइन परियोजना का विस्तृत निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने सुरंगों, बड़े पुलों, स्टेशन यार्ड और अन्य निर्माणाधीन स्थलों का जायजा लेते हुए परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।



78.42 किलोमीटर लंबी यह रेल परियोजना असम के कार्बी आंगलांग और नागालैंड के चुमोकेडिमा व कोहिमा जिलों से होकर गुजरती है। परियोजना में 20 सुरंगें, 27 बड़े पुल, 149 छोटे पुल तथा आठ रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

धनसिरी, शोखुवि और मॉलवॉम स्टेशन पहले ही तैयार हो चुके हैं, जबकि धनसिरी-शोखुवि और शोखुवि-मॉलवॉम रेलखंडों पर रेल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं।

निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने इंजीनियरों और निर्माण टीमों के कार्य की सराहना करते हुए निर्माण की गति बनाए रखने, बेहतर समन्वय और उच्चतम सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के पालन पर जोर दिया।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। परियोजना के पूर्ण होने पर पहली बार नागालैंड की राजधानी कोहिमा राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ग्राउंट नंबर 609 और 610, 6वीं मंजिल, मैजेस्टिक, लॉ गार्डन के पास, पंचवटी रोड, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात - 380 006. कॉर्पोरेट कार्यालयः वन बीकेसी, सी-विंग, 1004/5, 10वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. महाराष्ट्र, भारत
CIN: U65999GJ2017PTC098960, Website : www.tygerhomefinance.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता/गारंटर ने **टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** (जिसे पहले मेसर्स अदानी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 6 जून 2024 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र के अनुसार, जिसे आगे 'टीएचएफपीएल' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) से अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर ऋण/सुविधाओं का लाभ उठाया है। आपके ऋणों के भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। **टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** ने बकाया राशि की वसूली के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसकी सामग्री अधिनियम की धारा 13(2) के साथ सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार यहां प्रकाशित की जा रही है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या/ ऋणकर्ता/ सह-ऋणकर्ता/ गारंटर का नाम/	गिरवी मालमत्ता पता	मांग सूचना दिनांक/ थकित रकम/ थकित तिथि
1	8190HL001187084/ अभिषेक गौर / निशा देवी	संपत्ति का पूरा भूखंड और पार्सल प्लॉट नंबर 33 का पट्टा, तारीख 29.08.2022, झालाना डूंगरी G.N.S.S. लिमिटेड, जयपुर द्वारा जारी किया गया, स्थित है स्कीम-राज वाटिका, गाँव- मुंडिया, सिरसी रोड, जिला- जयपुर, राजस्थान। इसका साइज 55.55 वर्ग गज है। सीमाएं:- पूर्व- सड़क, पश्चिम- दूसरी जमीन, उत्तर- खुला प्लॉट नंबर 32ए, दक्षिण- खुला प्लॉट नंबर 34	16-जुलाई-26/ रु. 850768/- दिनांक 14-जुलाई-26 तक
2	8030HL001167972 / नवनीत सिंह / अमर सिंह / परमजीत कौर	संपत्ति का पूरा भूखंड और पार्सल खेती की जमीन पर प्लॉट नंबर S-14, जिसका साइज़ 30' X 75' यानी 2250 वर्ग गज है, जो पूर्व की ओर है, स्थित है Sq. No. 08, किला नंबर 17-18, चक 5-Z, तहसील और जिला श्री गंगानगर। सीमाएं- पूर्व- सड़क 30'0 चौड़ी, पश्चिम- गगन सेतिया के बेटे जगदीश राय सेतिया की जमीन, उत्तर- प्लॉट नंबर C-3, C-4, C-5/ मनोहर लाल और अन्य, दक्षिण- प्लॉट नंबर S-13/ओम प्रकाश	16-जुलाई-26/ रु. 2604402/- दिनांक 14-जुलाई-26 तक
3	8030HL001048224/ 803LAP001048291 / जसवंत सिंह / कमलेश देवी	संपत्ति का पूरा भूखंड और पार्सल प्लॉट नंबर 6 और 7, माप 600 वर्ग फिट स्थित है खसरा नंबर 751, ग्राम-चकगर्बा, तहसील और जिला बीकानेर। सीमाएं- पूर्व- प्लॉट नंबर 15 और 14 पश्चिम- रास्ता उत्तर- प्लॉट नंबर 7 का बचा हुआ हिस्सा दक्षिण- प्लॉट नंबर 6 का बचा हुआ हिस्सा	16-जुलाई-26/ रु. 1435941 (1021615 + 414326)/- दिनांक 14-जुलाई-26 तक

अतः आप, उधारकर्ता/ओं और सह-उधारकर्ताओं/गारंटर से अनुरोध है कि आप उपरोक्त मांगी गई राशि का भुगतान इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ब्याज सहित पूर्ण रूप से करें, अन्यथा, अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत आपको उपर्युक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर गिरवी रखी गई संपत्ति को भुनाने की स्वतंत्रता है। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से रोका जाता है।

स्थान : राजस्थान
दिनांक : 31.07.2026

अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए
एसडी/-अधिकृत अधिकारी

कैबिनेट मंत्री कुमावत ने तख्तगढ़ सीएचसी का किया निरीक्षण

आरएमआरएस की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश

जयपुर (कासं)। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान तखतगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं एवं आमजन को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ व प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (आरएमआरएस) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने चिकित्सालय की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से अस्पताल में मरीजों को सुलभ, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।



इसके साथ ही अस्पताल में प्रस्तावित नए निर्माण कार्यों, परिसर की नियमित स्वच्छता व्यवस्था, मरीजों व उनके परिजनों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, मौसमी बीमारियों से बचाव तथा अन्य आवश्यक जनसुविधाओं के विस्तार से जुड़े विभिन्न अहम विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

कैबिनेट मंत्री ने बैठक में उपस्थित संबंधित प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों (परिजनों) को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में शुद्ध एवं ठंडे पेयजल की समुचित व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुसार स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। बैठक के समापन के पश्चात मंत्री कुमावत ने स्वयं अस्पताल के विभिन्न वार्डों और परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की स्थिति देखी, इनडोर व आउटडोर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क दवा वितरण केंद्र (डीडीडब्ल्यू) का भी निरीक्षण कर दवाइयों की उपलब्धता की जांच की।

रूफटॉप फार्मिंग और किचन गार्डनिंग पर दो दिवसीय प्रायोगिक प्रशिक्षण 22 अगस्त से

जयपुर (कासं)। शहरों में सुरक्षित, रसायनमुक्त और ताजी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान, दुर्गापुरा पहली बार रूफटॉप फार्मिंग एवं किचन गार्डनिंग विषय पर दो दिवसीय प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित करेगा। यह प्रशिक्षण 22 और 23 अगस्त 2026 को होगा, जिसमें प्रतिभागियों को छत, बालकनी और सीमित स्थान में जैविक सब्जियों की खेती की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान रूफटॉप गार्डन की स्थापना, किचन गार्डन की वैज्ञानिक विधियां, जैविक पोषण प्रबंधन, प्राकृतिक कीट एवं रोग नियंत्रण, मौसमी सब्जियों की उन्नत खेती तथा पौधों की देखभाल की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी।

MANAPPURAM FINANCE LTD.

निलामी सूचना

CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 17.08.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

अलवर, डीग, 0137490700002751, 2887, 2937, 2980, 3167, 3254, 3496, 3629, 3630, 3650, 3768, 3821, 3834, 3850, 4420, 0137490730015068, 6032, 6165, 6877, 7082, 7460, 7829, 8924, 8986, 8995, 9008, 3262, 3263, 3264, हनुमान सर्कल अलवर, 0138330700003753, 4148, 4209, 4532, 4602, 0138330730019449, 1110, 1122, 4177, 4178, 4183, 4186, 4187, खैरथल, 0138500700001617, 1618, 2287, 0138500730009072, 3730, 3732, मनुमार्ग अलवर, 0112140700028723, 8971, 9933, 9945, 0151, 0179, 0362, 0363, 0645, 0681, 0684, 0112140730067983, 0470, 2073, 2074, 2531, 3400, 3471, 1064, 1065, 1066, 1068, 1069, 1071, 1074, 1081, 1082, रोड़ नंबर 2 अलवर, 0112110700032173, 2177, 2225, 2325, 2439, 2501, 3020, 3494, 3554, 3642, 3671, 3762, 3835, 3914, 3945, 0112110730073465, 4883, 5349, 5413, 5773, 6558, 8004, 8113, 3188, 3189, 3192, 3197, 3198, 3199, दौसा, बांदीकुई, 0137480700004076, 4332, 4527, 4737, 4837, 4845, 4903, 5465, 0137480730045306, 5344, 6445, 6777, 9226, 9231, 9236, दौसा राजस्थान, 0135460700009149, 9553, 9707, 9752, 9836, 0097, 0248, 0249, 0280, 0135460730044030, 5297, 5320, 6704, 7173, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, लालसोट रोड दौसा, 0138010700002543, 3246, 0138010730017428, 7429, 7430, जयपुर, बागडू राजस्थान, 0135320700014884, 5930, 5937, 6074, 6128, 6192, 6507, 7337, 0135320730016256, 6388, 7171, 7313, 8751, 0367, 4040, 4043, 4045, 4046, 4053, 4054, 4055, 4057, 0112, भानकरोता जयपुर , 0123660700018060, 8810, 8901, 9420, 9434, 9460, 9641, 9801, 9838, 9910, 0638, 0641, 0123660730018532, 9764, 9900, 0876, 1972, 5827, 5829, 5830, 5832, 5834, ब्रह्मपुरी जयपुर, 0111150700034654, 4768, 4868, 5056, 5087, 5120, 5168, 5286, 5701, 5865, 5927, 6031, 6036, 6050, 6258, 6543, 6545, 6576, 6602, 6808, 6899, 7141, 7142, 7182, 8263, 8402, 0111150730030659, 1941, 2289, 3105, 3496, 4016, 4447, 4732, 5003, 5158, 5514, 6177, 6199, 6283, 6285, 1215, 0207, चोमू, 0135080700013737, 3824, 3967, 4111, 4384, 4420, 4433, 4466, 4583, 4596, 4674, 4728, 0135080730025064, 6768, 7118, 7408, 7909, 8142, 8334, 8411, 8417, 8880, 9800, 9890, 5270, 5276, 5277, 5278, 5282, 5285, 5287, 5289, 5290, 0011, 0165, डिसीएम अजमेर रोड, 0110310700019711, 0065, 0863, 1010, 1326, 1527, 1860, 0110310730021481, 3962, 4462, 4866, 5342, 5362, 5613, 6091, 1223, 1229, गोपालपुरा जयपुर, 0110500700020985, 1967, 1985, 2046, 2164, 0110500730022193, 2749, 4181, 5144, 9471, 0137, जगतपुरा जयपुर, 0111450700025868, 5933, 6329, 6403, 6934, 6940, 7183, 7287, 7323, 7325, 7332, 7437, 7441, 7648, 7922, 7941, 8019, 8031, 0111450730018410, 8502, 9034, 0514, 1636, 1739, 1742, 2142, 3866, 3867, 3870, 4042, 4043, 4171, 4383, 4443, 4476, 1003, 1004, जयपुर सिंधी कैंप, 0102820700023250, 3524, 3652, 4101, 4304, 4318, 4348, 4349, 4351, 4359, 4360, 4518, 4534, 4548, 4553, 4574, 4580, 5286, 5347, 0102820730018584, 9345, 9487, 9851, 1417, 1685, 2348, 2878, 2998, 6072, 6074, 6075, 6076, 6077, 6079, 6080, जोतवाडा, 0104600700729007, 9133, 9662, 9716, 9780, 9784, 9792, 9805, 0104600730031410, कुन्ता चौराहा जयपुर, 0123650700033606, 3785, 3845, 3910, 3911, 3930, 4130, 4470, 4827, 4960, 5160, 5209, 5280, 5384, 5488, 0123650730034981, 8748, 9568, 0946, 1090, 1148, 1608, 1609, 2363, 9105, 9106, 9116, 9117, 9120, मानसरोवर, 0110440700021026, 1292, 1329, 1609, 1630, 1872, 1985, 2051, 2311, 2417, 2554, 2657, 2861, 3252, 3254, 3367, 3386, 4280, 0110440730025566, 6412, 6430, 6480, 6908, 7520, 7930, 8334, 8865, 8879, 9029, 9372, 9509, 9715, 0155, 0335, 0589, 1010, 1213, 1366, 1452, 6773, 6775, 6776, 6779, 6780, 6789, 6790, 6792, 6796, मुरलीपुरा जयपुर, 0119460700036825, 6849, 6942, 6988, 7035, 7381, 7466, 7543, 7562, 0119460730092153, 2352, 3724, 5247, 5336, 3637, 3643, 3644, 3645, 3650, नगरपालिका लिंक रोड, 0113870700021426, 1590, 1747, 1748, 2361, 2844, 2878, 3009, 3141, 3324, 3448, 3455, 3477, 3538, 0113870730027960, 8016, 8134, 8494, 9201, 9379, 9550, 9722, 9794, 0181, 2110, 2163, 8091, 8097, 8098, 8102, 8105, प्रताप नगर जयपुर, 0114240700027160, 7786, 8085, 8094, 8413, 8431, 8462, 8774, 8789, 8914, 8916, 8989, 8999, 9019, 9306, 9708, 9728, 9821, 9829, 9863, 0020, 0114, 0114240730032599, 2703, 2928, 2992, 3290, 3885, 3927, 3939, 4038, 4042, 5170, 5327, 6042, 6055, 6135, 6212, 6995, 7096, 7666, 8242, 8416, 4663, 4664, 4665, 4674, राजापार्क जयपुर, 0120050700019204, 1503, 0120050730037490, 0014, 1105, 1206, 1534, 1840, 2441, 6528, 6529, 6530, 6531, 6535, 0161, रामनगर शॉपिंग सेंटर, 0127350700027495, 8147, 8210, 8223, 8350, 8414, 9018, 9277, 9553, 9738, 9802, 0045, 0156, 0214, 0280, 0420, 0755, 0885, 0959, 1015, 1278, 1359, 1534, 1695, 1734, 1745, 1757, 1824, 1877, 1889, 1921, 1934, 2001, 2030, 2052, 2055, 2077, 2171, 2181, 2200, 2207, 2249, 2303, 0127350730036257, 0329, 1000, 1327, 1457, 1606, 2342, 2907, 3120, 3751, 3754, 3806, 3897, 4257, 4259, 4759, 4760, 4872, 5659, 5695, 5952, 0474, 0475, 0476, 0482, 0488, सांगानेर, 0104670700043884, 4876, 5015, 5389, 5490, 5609, 5753, 5818, 5879, 5922, 6003, 6342, 6374, 6506, 6772, 6858, 6971, 7352, 7509, 7539, 7631, 7656, 7704, 7788, 7905, 7980, 8055, 8128, 8167, 8233, 8291, 8348, 8471, 8627, 8712, 8744, 8822, 8879, 8910, 9020, 9103, 9111, 9124, 9128, 9286, 9295, 9306, 9334, 9378, 0104670730028268, 0326, 0717, 1205, 2283, 2469, 2472, 4248, 0918, 0919, 0920, 0927, 0929, 0931, 0932, 0934, 0935, सांगानेर आर जे, 0136230700009512, 9912, 0107, 0258, 0297, 0532, 0574, 0616, 0629, 0765, 0789, 0963, 1034, 1135, 1230, 1300, 1388, 1401, 1405, 1486, 1551, 1575, 1614, 1625, 1641, 1786, 1804, 1815, 1833, 1876, 1889, 2002, 2132, 3187, 0136230730017996, 8021, 8771, 8950, 8988, 0432, 0902, 1294, 1745, 1782, 1785, 1787, 1810, 1954, 6448, 6454, 6456, 6457, 6459, शाहपुरा, 0116740700020047, 0991, 1211, 1232, 1351, 1392, 1530, 1564, 1649, 1728, 1739, 1779, 2564, 0116740730025571, 7100, 8301, 8415, 8442, 9193, 9325, 9500, 9684, 0182, 0614, 1590, 1674, 6406, 6413, 6416, 6417, 6427, शास्त्री नगर जयपुर, 0110520700024306, 4314, 4418, 4781, 5261, 5406, 5443, 5465, 5579, 5853, 5899, 6012, 6050, 6135, 6196, 6206, 6262, 6322, 6333, 6471, 6506, 6614, 6666, 6719, 6746, 6749, 6792, 6821, 6830, 6854, 6959, 7070, 7080, 0110520730024152, 4329, 4769, 5369, 5382, 5616, 5851, 7534, 7673, 7719, 7866, 7978, 8023, 8827, 0003, 0024, 0025, 0105, 5589, 5592, 5595, 5596, 5599, 5600, 5601, 5603, 5604, 5605, 5606, 5615, 5616, 5617, श्याम नगर, 0109820700018303, 8947, 9237, 9272, 9274, 9809, 0109820730040633, 2143, 5791, विजयपथ मानसरोवर , 0124180700015034, 5319, 5494, 5650, 5913, 6106, 6300, 6406, 6611, 6687, 6695, 6715, 6773, 6807, 7068, 7089, 8049, 8051, 8053, 0124180730033762, 4213, 5966, 7169, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4233, 4235, वि कें ए ए जयपबर, 0110640700045411, 5767, 5769, 5801, 5824, 5933, 6044, 6105, 6125, 6538, 6545, 6562, 6619, 7010, 7028, 7080, 7081, 7134, 7138, 7165, 7239, 7345, 7362, 7466, 7475, 7680, 7749, 7772, 7802, 7911, 7951, 8014, 8087, 8088, 8142, 8148, 8258, 8281, 8338, 8438, 0110640730046941, 9503, 9975, 1696, 2178, 3126, 3340, 3442, 3606, 4328, 4829, 5331, 5507, 5795, 6102, 6537, 6560, 7288, 7318, 7748, 7968, 7970, 7977, 7981, 7982, 7986, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7999, 8000, वैशाली नगर जयपुर, 0111120700019047, 0169, 0302, 0375, 0391, 0502, 0111120730030951, 4007, 4110, 4619, 6459, 6461, 0164, 0165, 0166, 0169, 0173, झुंझुनू, झुंझुनू रोड नं. 1, 0116750700027965, 0953, 1323, 1573, 1699, 1926, 2236, 2383, 2392, 2538, 2849, 2988, 3061, 3087, 3149, 3161, 3200, 3243, 3341, 3362, 3370, 3712, 3736, 3739, 4840, 0116750730033295, 7627, 8460, 8837, 9442, 9895, 0140, 0225, 0634, 0635, 0728, 0828, 0905, 0918, 1166, 1369, 1406, 1407, 1915, 2011, 2135, 2177, 2305, 2380, 2537, 2675, 3817, 3851, 0547, 0551, 0553, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0083, पिलानी राजस्थान, 0135490700015408, 5515, 5532, 5553, 5804, 5895, 6103, 6181, 6208, 6289, 6569, 6576, 6585, 6615, 6689, 6807, 6811, 6956, 6993, 7152, 7206, 7234, 7245, 0135490730046034, 7063, 8765, 8875, 8877, 8992, 9070, 9113, 9136, 9152, 9219, 9349, 9631, 9722, 9951, 0126, 0175, 0235, 0249, 0384, 0394, 0485, 0583, 0594, 0655, 0663, 1080, 1096, 1279, 1709, 2728, 2729, 2897, 2913, 2933, 0254, 0257, 0258, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0268, 0269, 0270, 0272, 0273, 0276, 0282, 0283, 0290, टोंक, अग्रसेन सर्कल, 0113310700017276, 7934, 7958, 8747, देओली टोंक, 0113460700018396, 8732, 9393, 9435, 9691, 9813, 9829, 9847, 0454, 0455, 0113460730038770, 9345, 9888, 0124, 0369, 0756, 0760, 2094, 5531, 5532, 5533, 5534,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

वीजीयू में ग्रामीण विकास पर अंतरराष्ट्